प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 100/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) का कार्यान्वयन

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019 – भादूविप्रा ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम 2009 (2009 का 8) के प्रमुख विनियमों के लिए 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018, जारी किया था। संशोधित एमएनपी प्रक्रिया को 11 नवंबर 2019 से लागू किया जाएगा।

2. इन संशोधन विनियमों के माध्यम से यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट करने की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रावधान किया गया है। पोर्टिंग के लिए पात्रता शर्तों की पूर्व–वैधता मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) द्वारा यूपीसी को जनरेट करने का निर्धारण करेगी। यह नए फ्रेमवर्क में निर्बाध पोर्टिंग सुनिश्चित करेगा, जिससे पोर्टिंग प्रक्रिया तेज और मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगी। नई प्रक्रिया के अनुसार यूपीसी की वैधता जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर, जहां यूपीसी की वैधता अभी भी 30 दिनों की होगी, को छोड़कर सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए 4 दिनों की होगी।

3. इंट्रा–लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (इंट्रा–एलएसए) प्रकृति के व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोधों को 3 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा; जबकि इंटर–लाइसेंस सेवा क्षेत्र (इंटर–एलएसए) प्रकृति और कॉर्पोरेट श्रेणी (इंट्रा–एलएसए और इंटर–एलएसए सहित) के तहत सभी पोर्टिंग अनुरोध 5 कार्य दिवसों में पूरे किए जाएंगे। (उदाहरण के लिए–कर्नाटक एलएसए का मोबाइल उपभोक्ता 'एक्स' (व्यक्तिगत) का पोर्टिंग अनुरोध 3 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा, जो कर्नाटक एलएसए के भीतर अपने ऑपरेटर को बदलना चाहता है, जबकि एक व्यक्ति 'वाई' (व्यक्तिगत), जो कर्नाटक एलएसए से दिल्ली एलएसए सेवा क्षेत्र में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है, का सेवा अनुरोध 5 दिनों में पूरा किया जाएगा)।

4. नए नियमों के लिए कट–ओवर 11.11.2019 के 00:00:00 बजे से प्रभावी होगा। वर्तमान एमएनपी प्रक्रिया में, मोबाइल उपभोक्ता एमएनपी जनरेट कर सकते हैं और अपने पोर्ट अनुरोध अपनी पसंद के ऑपरेटर को 4.01.2019 के 17:59:59 बजे तक प्रस्तुत कर सकते

5. सभी एलएसए के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 6 दिनों का 'नो सर्विस पीरियड' होगा, जो 04.11.2019 के 18:00:00 बजे से 10.11.2019 के 23:59:59 बजे तक रहेगा। मौजूदा सक्रिय यूपीसी, जिनके संबंध में उपभोक्ता द्वारा 04.11.2019 के 17:59:59 बजे तक कोई पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है, अमान्य हो जाएगा। उपभोक्ता 11.11.2019 के 00:00:00 बजे से नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद नया यूपीसी जनरेट करने का प्रयास कर सकते हैं।

6. ऐसे सभी अनुरोध, जिनके लिए उपभोक्ता द्वारा पोर्टिंग अनुरोध 04.11.2019 के 17:59:59 बजे तक प्रस्तुत किए गए हैं, और बाद में डोनर ऑपरेटर द्वारा मंजूरी दे दी गई है, के लिए पोर्टिंग को अगले पोर्टिंग विंडो में निष्पादित करना होगा और सभी निष्पादित पोर्टिंग का ब्रॉडकॉस्ट 09.11.2019 के 09:00:00 बजे तक पूरा करना होगा।

7. 'नो सर्विस पीरियड' के दौरान यूपीसी जनरेट करने का प्रयास करने वाले मोबाइल उपभोक्ता को कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में यूपीसी को केवल 11.11.2019 को या उसके बाद जनरेट किया जा सकता है।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481, फैक्स नंबर +91+11–23232677 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>